

**Public Notice**

It has come to the notice of this Commission that some unauthorized Private Universities/ Colleges/ Institutes are running in the State, which are not in accordance with law. Recently such an institution on the name of Dhauladhar Hills University, Mandi has been brought into the notice of Commission, which as such has never been/ is functional as per records of the Commission. Hence by this Public Notice, the general public is hereby advised that before taking admissions in institutes and payment of fees to them ascertain the recognition and affiliation of institutes besides approved fee structure by the Govt from time to time, from the website of this Commission (<http://hp.gov.in/hpperce>) and other Govt. statutory bodies e.g. UGC, AICTE, HPU, HPTU etc., so that no one should fall a victim in the hands of such unauthorized people / institutions.

**Sd/  
Chairman  
H.P. Private Educational Institutions  
Regulatory Commission**

## सार्वजनिक सूचना

इस आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ गैर-मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं जो कि गैर कानूनी हैं। हाल में, ऐसा ही एक मामला 'धौलाधार हिल्स यूनिवर्सिटी, मंडी' के नाम से चलाया जा रहा निजी विश्वविद्यालय आयोग के संज्ञान में लाया गया है, जबकि इस नाम से कोई भी निजी विश्वविद्यालय आयोग के अभिलेखों में न कभी संचालित रहा है / न संचालित है। अतः आयोग इस सूचना के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने व फीस अदा करने से पूर्व वे सम्बन्धित संस्थानों की मान्यता बारे इस आयोग की वेबसाइट (<http://hp.gov.in/hpperc>) या अन्य सरकारी संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय इत्यादि की वेबसाइटों/अधिसूचनाओं/ संस्थानों से पुष्टि कर लें, ताकि कोई भी व्यक्ति / छात्र इस तरह के संस्थानों के जाल में न फंसे।

Sd/-  
अध्यक्ष

हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान  
विनियामक आयोग